[2022] 18 एस॰सी॰आर॰ 221
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं. 500/2022

सीएस रामास्वामी.....अपीलकर्ता

बनाम

वीके सेंथिल और अन्य.....प्रतिवादी

30 सितंबर, 2022

एमआर शाह, कृष्ण मुरारी जे॰ जे॰

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-Or.VII r। 11 (घ)- वाद की अस्वीकृति-सीमा अधिनियम, 1963 - एस. 17-संबंधित दायर किए गए उत्तरदाता

2005 में निष्पादित बिक्री विलेखों को रद्द करने के लिए वर्ष 2015/2016 में मुकदमे, यह आरोप लगाते हुए कि वे धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त किए गए थे, अपीलार्थी ने यू/या दायर किए गए आवेदनों को दायर किया। VII आर। 11 (घ) मुख्य रूप से इस आधार पर वाद की अस्वीकृति के लिए कि मुकदमों को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था, खारिज कर दिया गया-अपीलार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाएं, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज- संबंधित मुकदमे 10 साल की अवधि के बाद दायर किए गए थे। पंजीकृत बिक्री विलेखों के निष्पादन की तारीख से-कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था कि किस तारीख को और कैसे वादी को यह जानकारी थी कि दस्तावेज़ धोखाधड़ी और/या गलत निरूपण द्वारा प्राप्त किया गया था-इस बारे में कोई और कथन और आरोप नहीं थे कि धोखाधड़ी कैसे की गई/निभाई गई थी-केवल शिकायत में यह कहना कि धोखाधड़ी की गई है, पर्याप्त नहीं है-धोखाधड़ी के आरोपों को विशेष रूप से शिकायत में इंगित किया जाना चाहिए, अन्यथा केवल "धोखाधड़ी" शब्द का उपयोग करके, चतुराई से मसौदा तैयार करके वादी मुकदमों को सीमा के भीतर लाने का प्रयास करेंगे, जो अन्यथा सीमा द्वारा बाधित किया जा सकता है, जैसा कि वर्तमान मामले में है-उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और संबंधित मुकदमों द्वारा पारित आदेशों को खारिज कर दिया जाता है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित 1.1 इसलिए, केवल वादपत्रों में दिए गए कथनों और आरोपों पर विचार करते हुए, यह देखा जा सकता है कि वादी के अनुसार भी, मुकदमे के लिए कार्रवाई का कारण इस पर उत्पन्न हुआ 19.09.2005, जिस तारीख को वादी ने प्रतिवादी के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किया। कथित कार्रवाई के अधिकांश कारण पंजीकृत बिक्री विलेखों के निष्पादन से बहुत पहले/पहले होते हैं। यहाँ तक कि पैराग्राफ 19 में वादी की जानकारी के संबंध में अभिकथन और आरोप भी कहे जा सकते हैं।

221 [2022] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विशेष रूप से वाद में, अन्यथा केवल "धोखाधड़ी" शब्द का उपयोग करके, वादी मुकदमे को सीमा के भीतर लाने का प्रयास करेंगे, जिसे अन्यथा सीमा द्वारा वर्जित किया जा सकता है। इसलिए, भले ही उत्तरदाताओं की ओर से मूल वादी की ओर से यह निवेदन कि आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय केवल वादपत्रों में दिए गए कथनों और आरोपों पर विचार करने की आवश्यकता है, स्वीकार किया जाता है, उस मामले में भी जानकारी की तारीख के संबंध में ऐसे अस्पष्ट आरोपों द्वारा, वादी को 10 साल की अवधि के बाद दस्तावेजों को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस तरह के चतुराई से मसौदा तैयार करके और "धोखाधड़ी" शब्द का उपयोग करके, वादी ने सीमा अधिनियम की धारा 17 को लागू करते हुए मुकदमे को सीमा की अवधि के भीतर लाने की कोशिश की है। वादी को लाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

चतुराई से मसौदा तैयार करके सीमा की अवधि के भीतर सूट, जो अन्यथा सीमा द्वारा वर्जित है। [पैरा 7.5-7.8] [232-ई-एफ; 232-बी-एच]

राघवेंद्र शरण सिंह बनाम। कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा राम प्रसन्ना सिंह (मृत) (2020) 16 एससीसी

601 : [2019] 4 एस. सी. आर. 1069 पर भरोसा किया।

1.2 नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने आदेश VII नियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दलीलों को अस्वीकार नहीं करने में भौतिक रूप से गलती की है।

11 ((घ) सी. पी. सी. पंजीकृत बिक्री विलेखों के निष्पादन की तारीख से 10 साल की अवधि के बाद संबंधित मुकदमे दायर किए गए हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक मुकदमा नाबालिग द्वारा दायर किया गया था, जो सी. एस. रामास्वामी बनाम था।

वी. के. सेंथिल और ओ. आर. एस.

वर्ष 2006 में दायर किया गया था, जिसमें कुछ वादी भी उक्त मुकदमे में पक्षकार थे और उक्त मुकदमे में दिनांकित बिक्री विलेख और उक्त मुकदमे का एक विशिष्ट संदर्भ था

वर्ष 2014 में खारिज कर दिया गया और उसके तुरंत बाद वर्तमान मुकदमे दायर किए गए। इस प्रकार, वाद में अभिकथनों और वाद में बताए गए तथ्यों के बंडल से, चतुराई से मसौदा तैयार करके, वादी ने मुकदमे को सीमा की अवधि के भीतर लाने की कोशिश की है, जो अन्यथा सीमा द्वारा वर्जित हैं। इसलिए, टी के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर विचार करते हुए।

अरविवंदम और राघवेंद्र शरण सिंह के अन्य निर्णय और चूंकि संबंधित मुकदमे सीमा कानून द्वारा वर्जित हैं, इसलिए आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित वाद खारिज किए जाने की आवश्यकता है। उपरोक्त को देखते हुए और

ऊपर बताए गए कारणों से, ये सभी अपीलें सफल होती हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश ने पुनरीक्षण आवेदनों को खारिज कर दिया और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों ने आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत संबंधित आवेदनों को खारिज कर दिया और याचिकाओं को खारिज करने से इनकार कर दिया।

आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत शक्तियों का प्रयोग इसके द्वारा किया जाता है।

रद्द कर दिया और अलग कर दिया। अपीलार्थी द्वारा यहाँ दायर किए गए संबंधित आवेदन-मूल प्रतिवादी द्वारा संबंधित दलीलों को इस आधार पर अस्वीकार करने के लिए कि वे सीमा के कानून द्वारा वर्जित हैं, इसके द्वारा अनुमत हैं। संबंधित मैदान एतद्द्वारा हैं

इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि वे सीमा द्वारा वर्जित हैं। [पैरा 7.9,8]

टी. अरिवंदम बनाम। टी. वी. सत्यपाल (1977) 4 एससीसी 467:

1978 (1) एस. सी. आर. 742-पर निर्भर।

सोपान सुखदेव साबले और अन्य। वी. सहायक चैरिटी

आयुक्त और अन्य। (2004) 3 एससीसी 137: [2004] 1 एस. सी. आर. 1004; श्रीहरि हनुमंतस टोटला बनाम। हेमंत विठ्ठल

कामत और ओआरएस। (2021) 9 एस. सी. सी. 99; राम प्रकाश गुप्ता बनाम राजीव कुमार गुप्ता और अन्य। (2007) 10 एससीसी 59: [2007]

10 एस. सी. आर. 520; चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट और एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी v. पोन्नियम्मन

एजुकेशनल ट्रस्ट (2012) 8 एससीसी 706: [2012] 6 एस. सी. आर. 404; सलीम डी. अगबोटवाला और अन्य। वी. शामलजी

ओद्धवजी ठक्कर और अन्य। 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 735

- संदर्भित किया गया।

[2022] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[2019] 4 एससीआर 1069

उस पर भरोसा करें

पैरा 4.3

[2004] 1 एससीआर 1004

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.3

(2021) 9 एससीसी 99

पैरा 5.3

संदर्भित किया गया है

[2007] 10 एससीआर 520

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.3

[2012] 6 एससीआर 404

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.4

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 500

2022 .

उच्च न्यायालय के 28.02.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 के सी. आर. पी. No.1931 में मद्रास में न्यायिक कार्य।

के साथ

सिविल अपील सं। 504 , 505 , 506 , 502 , 501 और 2022 का 503।

कपिल सिब्बल, ए. मारियारपुथम, आर. बालासुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सी.

थिरुमारन, अवनीश अर्पुथम, सुश्री अनुराधा अर्पुथम, डॉ. राम शंकर, आर. एन. अमरनाथ, अदित सुब्रमण्यम पुजारी, प्रवीण के. सिंह, अंकित शर्मा, मेसर्स अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी, एड. अपीलार्थी के लिए।

सुशील कुमार जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एस. सिन्नराज, सुश्री ई. आर. सुमती, ए.

पार्थसारथी, सुश्री पूजा श्री एस., सुश्री मुरुगेसन एम., सुश्री श्रुति, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

श्री शाह, जे.

1. वर्ष 2019 से संबंधित सीआरपी संख्या 1931, 1921, 1973, 1968, 1975, 1976 और 1922 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित संयुक्त निर्णय और आदेश जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने सिविल पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया, से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए मूल प्रतिवादी द्वारा वर्तमान अपीलों को दायर किया है ।सिविल पुनरीक्षण याचिकाओं में कहा गया है और अपीलकर्ता द्वारा दायर संबंधित वादों को खारिज करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (इसके बाद "सीपीसी" के रूप में संदर्भित) के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदनों को खारिज करते हुए विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की गई है ।

2. इसमें उत्तरदाताओं - मूल वादी ने अपीलकर्ता- मूल प्रतिवादी के पक्ष में वादी द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख को रद्द करने औरशून्य और शून्य के रूप में घोषित करने के लिए और यह भी घोषित करने के लिए कि वादी हैं सूट शेड्यूल संपत्ति के पूर्ण मालिक और परिणामस्वरूप प्रतिवादी को सूट शेड्यूल संपत्ति को किसी भी तरीके से अलग करने से रो क ने के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष संबंधित मुकदमे दायर किए हैं ।

2.1 मुकदमे के समन प्राप्त होने के बाद, मूल प्रतिवादी - अपीलकर्ता ने सीपीसी के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित वादों को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज करने के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया कि संबंधित मुक़दमे स्पष्ट रूप से सीमा के कानून द्वारा वर्जित थे ।वादी द्वारा उक्त आवेदनों का यह कहकर विरोध किया गया कि दिनांक 12.09.2005, 19.09.2005, 22.09.2005, 29.09.2005 तथा 30.09.2005 के विक्रय विलेख, जिनके लिए वाद में रद्द करने की राहत की प्रार्थना की गई थी, प्राप्त कर ली गई थी। कपटपूर्ण गलत बयानी द्वारा और इसे कपटपूर्वक प्राप्त किया गया था।

वादी के अनुसार, दस्तावेज़ के चरित्र को कपटपूर्ण तरीके से गलत तरीके से प्रस्तुत करके, अर्थात, जैसे कि यह एक संयुक्त विकास परियोजना है, प्रतिवादी को बिक्री विलेख मिल गया

और वादी ने दस्तावेजों की सामग्री को जाने बिना उक्त कार्य को निष्पादित कर दिया वादी के अनुसार, उन्हें इसके बारे में अप्रैल, 2015 में पता चला और उसके तुरंत बाद उन्होंने वर्तमान मुकदमा दायर किया था।

2.2 विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदनों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि परिसीमा का मुद्दा कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है और इसलिए, सीपीसी के आदेश VII नियम 11(डी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित प्रार्थनाओं को इस स्तर पर खारिज करने की आवश्यकता नहीं है।

2.3 विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा आदेश VII नियम 11 (डी) सीपीसी के तहत आवेदनों को खारिज करने और वादों को खारिज करने से इनकार करने के पारित आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिकाएं दायर कीं।

2.4 आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त सिविल पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसने मूल प्रतिवादी के अनुरोध पर वर्तमान अपीलों को जन्म दिया है।

3. श्री कपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलकर्ता, मूल प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए हैं और श्री सुशील कुमार जैन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्तरदाताओं - मूल वादी की ओर से उपस्थित हुए हैं।

4. अपीलकर्ता - मूल प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिब्बल ने दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान ट्रायल कोर्ट और साथ ही उच्च न्यायालय दोनों ने आवेदनों को अनुमति न देकर गलती की है। आदेश VII नियम 11 (डी) सीपीसी और संबंधित वादों को अस्वीकार न करने में परिसीमा द्वारा वर्जित किया गया था। यह जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में, बिक्री कार्य, जिसे अब रद्द करने की मांग की गई है, वर्ष 2005 में निष्पादित किया गया था और बिक्री पर विचार का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया गया था और इसे वादी के बैंक खातों में जमा किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त विक्रय पत्र पंजीकृत विक्रय पत्र हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमे वर्ष 2016 में दायर किए गए हैं, यानी, 10 साल से अधिक की अवधि के बाद और इसलिए उक्त मुकदमे स्पष्ट रूप से परिसीमा कानून द्वारा वर्जित हैं। विद्वान ट्रायल कोर्ट को आदेश VII नियम 11 (डी) सीपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादों को खारिज कर देना चाहिए था।

4.1 अपीलकर्ता - मूल प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिब्बल द्वारा यह जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि वाद में दिए गए कथनों को देखने पर भी कथित धोखाधड़ी की जानकारी की तारीख के संबंध में अस्पष्ट कथन हैं और दस्तावेज़ और संबंधित मुकदमे निष्पादन की तारीख से 10 साल की अवधि के बाद दायर किए गए हैं, जो आदेश VII नियम 11 (डी) सीपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है। यह दृढ़ता से प्रस्तुत किया गया है कि केवल धोखाधड़ी के संबंध में कुछ अस्पष्ट बयान देकर, वादी को परिसीमा अवधि के भीतर मुकदमा लाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमे में विशिष्ट आरोप और कथन होने चाहिए कि धोखाधड़ी कैसे की गई है।यह प्रस्तुत किया गया है कि वादपत्र में केवल यह कहना कि पंजीकृत विक्रय विलेख धोखाधड़ी करके निष्पादित किया गया था, 10 साल की अवधि के बाद मुकदमा दायर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

4.2 अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिब्बल ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में, बिक्री कार्यों के संबंध में, पहले नाबालिग द्वारा एक मुकदमा दायर किया गया था जिसमें कुछ मूल वादी भी पक्षकार थे और उक्त मुकदमे वर्ष 2014 में खारिज कर दिए गए। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसके तुरंत बाद वर्तमान मुकदमे वर्ष 2015/2016 में दायर किए गए थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी को संबंधित बिक्री कार्यों की प्रकृति और/या बिक्री कार्यों की सामग्री का ज्ञान नहीं था।

4.3 उपरोक्त दलीलें देकर और राघवेंद्र शरण सिंह बनाम राम प्रसन्न सिंह (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा, (2020) 16 एससीसी 601, के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करके यह प्रार्थना किया गया है कि वर्तमान पुनरीक्षण याचिकाओं को अनुमति दी जाए और परिणामस्वरूप अपीलकर्ता - मूल प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की अनुमति दी जाए और सीपीसी के आदेश VII नियम 11(डी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित वादों को खारिज कर दिया जाए।

5. वर्तमान अपीलों का उत्तरदाताओं - मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील कुमार जैन ने पुरजोर विरोध किया है।

5.1 यह प्रस्तुत किया गया है कि संबंधित वादपत्रों में कार्रवाई का विशिष्ट कारण बताया गया है और धोखाधड़ी के आरोप हैं और वादी की ओर से यह मामला है कि बिक्री कार्य/दस्तावेज धोखाधड़ी और दिखावे का परिणाम हैं और जानकारी के दिनांक से वर्ष 2015 में उसके तुरंत

बाद संबंधित मुकदमे दायर किए गए, यह नहीं कहा जा सकता कि संबंधित मुकदमे परिसीमा से वर्जित हैं।

5.2 यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, सीमा के संबंध में मुद्दा कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है और इसलिए, यह ऐसा मुद्दा है कि परीक्षण के समय परिसीमा पर विचार करना आवश्यक है, आदेश VII नियम 11 (डी) सीपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादों को अस्वीकार करने से इनकार करने में विद्वान ट्रायल कोर्ट और/या उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

5.3 यह प्रस्तुत किया गया है कि कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार, आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन पर विचार और/या निर्णय लेते समय, केवल वादपत्र में दिए गए कथनों और आरोपों पर विचार करना आवश्यक है। सोपान सुखदेव साबले और अन्य बनाम सहायक चैरिटी आयुक्त एवं अन्य, (2004) 3 एससीसी 137; श्रीहरि हनुमानदास तोतला वि.सं. हेमन्त विट्ठल कामत एवं अन्य, (2021) 9 एससीसी 99; एवं राम प्रकाश गुप्ता बनाम. राजीव कुमार गुप्ता एवं अन्य, (2007) 10 एससीसी 59, के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा रखा गया है। 5.4 यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट और एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पोन्नियम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट, (2012) 8 एससीसी 706, के मामले में इस माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि वाद का कारण तथ्यों का बंडल है जहां सभी घटनाओं का उल्लेख करना आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए वाद के कारण का खुलासा करने वाले वादपत्र में आवश्यक कथनों पर विचार करने और पूरे वादपत्र में कथनों और आरोपों पर विचार करने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि मुकदमे परिसीमा द्वारा वर्जित हैं।

5.5 यह प्रस्तुत किया गया है कि वादपत्र में, यह विशेष रूप से कहा गया है कि वादी को बिक्री कार्यों की सामग्री के बारे में केवल वर्ष 2015 में पता चला और वर्ष 2015 में पता चला कि बिक्री कार्यों को प्रतिवादी द्वारा धोखाधड़ी और गलत बयानी से निष्पादित किया गया था। क्योंकि वादी ने उक्त दस्तावेजों पर यह विश्वास करते हुए हस्ताक्षर किए थे कि यह संयुक्त विकास समझौता है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि मुकदमे स्पष्ट रूप से सीमा के कानून द्वारा वर्जित हैं। 5.6 यह प्रस्तुत किया गया है कि सीमा का प्रश्न तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में, वादी को मुकदमे के दौरान यह साबित करना आवश्यक है कि पैरा 11-19 में कथित तथ्य, यदि वे तथ्य स्थापित होते हैं, तो वादी परिसीमा अधिनियम की धारा 17 का लाभ पाने के हकदार हैं ।

5.7 यह प्रस्तुत किया गया है कि सीमा अधिनियम की धारा 17 पर विचार करते हुए , सीमा की अवधि ऐसी धोखाधड़ी की खोज की तारीख से ही शुरू होगी। यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी में दिए गए कथनों और आरोपों के अनुसार, वादी को वर्ष 2015 में धोखाधड़ी के बारे में पता चला और इसलिए, परिसीमा अधिनियम की धारा 17 को ध्यान में रखते हुए , मुकदमों को परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता है। सलीम डी. एगबोटवाला और अन्य बनाम शामलजी ओधवजी ठक्कर और अन्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 735, के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया है ।

5.8 उत्तरदाताओं - मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जैन ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, प्रतिवादी ने स्वयं वादी के नाम पर रिट याचिका दायर की और यहां तक कि मृत मालिकों के नाम पर भी, जिससे पता चलता है कि वादी ने न केवल संयुक्त उद्यम समझौते के नाम पर बिक्री कार्यों को निष्पादित किया, बल्कि खाली दस्तावेज भी प्राप्त किए, जिन्हें रिट याचिका दायर करने के लिए ले जाया गया और इस्तेमाल किया गया।

5.9 उपरोक्त दलीलें देते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने की प्रार्थना की है।

6. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना।

7. हमने वादपत्रों में दिए गए कथनों और आरोपों का विस्तार से अध्ययन किया है।

7.1 प्रारंभ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि संबंधित मुकदमे दायर करके, मूल वादी ने पंजीकृत बिक्री विलेख को रद्द करने की प्रार्थना की है, जिसे मूल वादी द्वारा निष्पादित किया गया था। संबंधित मुकदमे वर्ष 2015/2016 में दायर किए गए हैं, यानी, ऐसे पंजीकृत बिक्री कार्यों के निष्पादन की तारीख से 10 साल की अवधि के बाद। इसलिए, प्रतिवादी ने आवेदन दायर किया और आदेश VII नियम 11 (डी) सीपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित वादों को इस आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की कि मुकदमे स्पष्ट रूप से परिसीमा कानून द्वारा वर्जित हैं। दूसरी ओर, वादी पक्ष की ओर से यह मामला है कि चूंकि बिक्री विलेख/दस्तावेज धोखाधड़ी और गलत बयानी द्वारा निष्पादित किए गए थे और वादी ने इसे संयुक्त उद्यम समझौता मानते हुए उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे और वादी ने ऐसा नहीं किया था। उक्त दस्तावेजों की सामग्री और जैसा कि वर्ष 2015 में, वादी को इस तरह की धोखाधड़ी और गलत बयानी द्वारा दस्तावेजों/विक्रय कार्यों को प्राप्त करने के बारे में पता चला,

परिसीमा अधिनियम की धारा 17 को ध्यान में रखते हुए, उक्त मुकदमों को परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता है। . वादी की ओर से यह मामला है कि किसी भी मामले में, परिसीमा का प्रश्न कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है, और इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वादी को अभ्यास में खारिज नहीं किया जा सकता है आदेश VII नियम 11(डी) सीपीसी के तहत शक्तियां। वादी पक्ष की ओर से यह मामला है कि आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन पर विचार करते समय, वादपत्र में लगाए गए आरोपों और कथनों पर विचार किया जाना आवश्यक है।

7.2 इस मुद्दे/प्रश्न पर विचार करते समय कि क्या वादी द्वारा दायर वादपत्र को आदेश VII नियम 11(डी) सीपीसी के तहत शक्तियों के प्रयोग में सीमा के आधार पर खारिज करने की आवश्यकता है, वादपत्र में प्रस्तुत वाद का कारण होना आवश्यक है संदर्भित, जो इस प्रकार है:-

"21. मुकदमे के लिए वाद का कारण 19.09.2005 को उत्पन्न हुआ, जिस तारीख को वादी ने दस्तावेज़ संख्या 3555/2005 के रूप में पंजीकृत प्रतिवादी के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किया, 20.09.1983 को वह तारीख जब तमिलनाडु सरकार ने धारा4(1) के तहत वादी की भूमि के संबंध में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की सूचना जारी की, 20.09.1983 को वह तारीख जब धारा 4(1) अधिसूचना के बाद तमिलनाडु सरकार द्वारा धारा 6 के तहत एक घोषणा जीओ नंबर 1426 में हाउसिंग द्वारा जारी की गई थी और शहरी विकास विभाग ने, बाद की तारीखों पर जब तमिलनाडु सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थी, वादी और अन्य भूमि मालिकों के खिलाफ 1989 के डब्ल्यूपी नंबर 4079 में एक रिट याचिका दायर की, 07. 07 .1989 को वह तारीख जब रोक लगाई गई थी 1989 के डब्लूएमपी संख्या 5983 में आदेश दिया गया था, 07.01.1994 को वह तारीख जब स्थगन आदेश हटा दिया गया था, 01.04.1998 को वह तारीख जब वादी ने 1994 के डब्ल्यूए संख्या 258 में उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए एक रिट अपील दायर की, 01.04 को .1998 वह तारीख जब उच्च न्यायालय ने पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत संपूर्ण अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द कर दिया, बाद की तारीखों पर जब हाउसिंग बोर्ड ने 1998 की एसएलपी (सी) संख्या 13458 से 13462 दायर की थी, जिसे बाद में माननीय उच्च से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था। मद्रास न्यायालय ने समीक्षा याचिका दायर करके, अगली तारीख पर जब हाउसिंग बोर्ड ने 1999 की समीक्षा संख्या 68 में उच्च न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसमें 1994 के डब्ल्यूए संख्या 258 और डब्ल्यूपी में पारित दिनांक 01.04.1998 के आदेश की समीक्षा करने की मांग की गई थी। 1989 का क्रमांक 4079, 04.10.2007 को वह तारीख जब दिनांक 01.04.1998 के आदेश को रद्द करते हुए समीक्षा याचिका की अनुमति दी गई थी, 05.01.2009 को वह तारीख जब 2008 को

वह तारीख जब एमपी उच्च न्यायालय डिवीजन बेंच द्वारा खारिज कर दिया गया था। 09.07.2012 वह तारीख जब रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 2020 की एसएलपी (सी) संख्या 15932 और 15933 को प्राथमिकता दी और यथास्थिति का आदेश दिया गया और वह 23.06.2014 को लंबित है, वह तारीख जब प्रतिवादी ने प्राप्त की नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय मद्रास के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके एक धोखाधड़ी डिक्री, 04.04.2015 को वह तारीख जब वादी ने वकील को पत्र लिखा था जिसने वादी की ओर से प्रतिनिधित्व करने का आरोप लगाया था, 19.04.2015 को वह तारीख जब वादी ने वादी को यह स्वीकार करते हुए उत्तर प्राप्त हुआ कि वादी और अन्य भूमि मालिकों को, नवंबर के महीने के दौरान जब वादी को धोखाधड़ी वाली बिक्री के बारे में पता चला।

> और अन्य सभी बाद में जहां मुकदमे की संपत्तियां कोयंबटूर में इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। "7.3 पैराग्राफ 19 में, वादी ने ज्ञान की तारीख के संबंध में दावा किया है। पैराग्राफ 19 इस प्रकार है:-

""19. वादीगण विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि वादीगण तथा अन्य भूमि स्वामियों ने प्रतिवादी को संपत्तियाँ बिल्कुल भी नहीं बेची हैं। उन्हें प्रतिवादी से बिल्कुल भी कोई प्रतिफल नहीं मिला, उन्होंने कोई कब्ज़ा भी नहीं सौंपा और कथित धोखाधड़ी वाली बिक्री के बारे में वादी को तभी पता चला जब वादी ने मुकदमे की संपत्तियों का दौरा किया। इसलिए, तुरंत वादी और अन्य भूमि मालिकों ने अपने स्वयं के अधिवक्ताओं को शामिल करने के लिए कदम उठाए और अब वादी और अन्य भूमि मालिकों का प्रतिनिधित्व चेन्नई में उनके स्वयं के वकील द्वारा किया जा रहा है। इसलिए, वादी ने भूमि के स्वामित्व को हटाने के लिए धोखाधड़ी के माध्यम से प्रतिवादी के पक्ष में वादी द्वारा निष्पादित कथित बिक्री कार्यों को रद्द करने के लिए मुकदमा दायर किया है।7.4 इसके बाद, अनुच्छेद 20 में, यह निम्नानुसार कहा गया है और आरोप लगाया गया है: -

"20. वादी विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी ने वादी से धोखाधड़ी के तरीकों से विक्रय पत्र प्राप्त किया है, इसलिए दस्तावेज़ संख्या 3555/2005 दिनांक 19.09.2005 के रूप में प्रतिवादी के पक्ष में वादी द्वारा निष्पादित कथित विक्रय पत्र को रद्द किया जाना चाहिए। 7.5 इसलिए, केवल वादों में दिए गए कथनों और आरोपों पर विचार करने पर भी, यह देखा जा सकता है कि वादी के अनुसार भी, मुकदमे के लिए कार्रवाई का कारण 19.09.2005 को उत्पन्न हुआ, जिस तारीख को वादी ने पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किया था प्रतिवादी का. अनुच्छेद 21 में, वाद के कारण पर विचार करते समय, यह आगे बताया गया है कि वाद का कारण उत्पन्न हुआ है: -

(i) 20.09.1983 - जब तमिलनाडु सरकार द्वारा धारा 4 अधिसूचना जारी की गई थी;

(ii) जब 1989 की रिट याचिका संख्या 4079 दायर की गई थी;

(iii) 07.07.1989 - वह तारीख जब 1989 के डब्ल्यूएमपी संख्या 5983 में उक्त आदेश दिया गया था;

(iv) 07.01.1994 - वह तारीख जब उक्त आदेश रद्द कर दिया गया था;

(v) 01.04.1998 - वह तारीख जब वादी ने रिट अपील दायर की;

(vi) 01.04.1998- जब उच्च न्यायालय ने संपूर्ण अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द कर दिया और बाद की तारीखों पर जब हाउसिंग बोर्ड ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाएं दायर कीं।

7.6 पूर्वोक्त से, यह देखा जा सकता है कि कथित कार्यों के अधिकांश कारण पंजीकृत बिक्री कार्यों के निष्पादन से बहुत पहले/पहले के हैं।

7.7 यहां तक कि अनुच्छेद 19 में उल्लिखित वादी पक्ष के ज्ञान के संबंध में कथन और आरोप भी बहुत अस्पष्ट कहे जा सकते हैं। इस बात का कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है कि वादी को किस तारीख को और कैसे पता चला कि दस्तावेज़ धोखाधड़ी और/या गलत बयानी द्वारा प्राप्त किया गया था। यह कहा गया है कि कथित धोखाधड़ी वाली बिक्री का पता वादी को तभी चला जब वादी ने मुकदमे की संपत्ति का दौरा किया। वादी ने मुकदमे की संपत्ति का दौरा कब किया, इसका कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। यह समझ में नहीं आता है कि मुकदमे की संपत्ति का दौरा करने पर, वादी को बिक्री विलेख की सामग्री और/या कथित धोखाधड़ी वाली बिक्री के बारे में जानकारी कैसे मिल सकती है।

7.8 यहाँ तक कि धोखाधड़ी के संबंध में वादपत्र में दिए गए कथन और आरोप भी किसी अन्य कथन और आरोप से समर्थित नहीं हैं कि धोखाधड़ी कैसे की गई/खेली गई। वादपत्र में केवल यह कहना कि धोखाधड़ी की गई है, पर्याप्त नहीं है और वादपत्र में धोखाधड़ी के आरोपों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, अन्यथा केवल "धोखाधड़ी" शब्द का उपयोग करके, वादी मुकदमे को उस सीमा के भीतर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जो अन्यथा सीमा द्वारा वर्जित किया जा सकता है। इसलिए, भले ही उत्तरदाताओं - मूल वादी की ओर से यह प्रस्तुतीकरण कि आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय केवल वादों में दिए गए कथनों और आरोपों पर विचार किया जाना आवश्यक है, स्वीकार कर लिया

जाता है, उस मामले में भी ऐसे द्वारा ज्ञान की तारीख के संबंध में अस्पष्ट आरोपों के कारण, वादी को 10 वर्ष की अवधि के बाद दस्तावेजों को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस तरह के चतुर प्रारूपण और "धोखाधड़ी" शब्द का उपयोग करके, वादी ने परिसीमन अधिनियम की धारा 17 का उपयोग करके मुकदमे को परिसीमा अवधि के भीतर लाने का प्रयास किया है।वादी को चतुर प्रारूपण द्वारा परिसीमा अवधि के भीतर मुकदमे लाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो अन्यथा परिसीमा द्वारा वर्जित है। इस स्तर पर, राघवेंद्र शरण सिंह (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के एक हालिया फैसले का उल्लेख करना आवश्यक है। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय को आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत शक्तियों के प्रयोग पर पहले के सभी निर्णयों पर विचार करने का अवसर मिला था, जिन पर इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 6.4 से 6.9 में निम्नानुसार विचार किया गया है: -

"6.4. टी. अरिवंदंदम में [टी.अरिवंदंदम बनाम टीवी सत्यपाल, (1977) 4 एससीसी 467], उसी प्रावधान यानी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी और इस तरह के आवेदन पर विचार करते समय ट्रायल कोर्ट के फैसले पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने पैरा 5 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया और रखा है: (एससीसी पृष्ठ 470) "5. हमें अदालत की प्रक्रिया के बार-बार और बेपरवाह तरीके से किए गए घोर दुरुपयोग के लिए याचिकाकर्ता की निंदा करने में थोड़ी भी झिझक नहीं है। उच्च न्यायालय के फैसले में पाए गए तथ्यों के बयान से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह मुकदमा अब फर्स्ट मुंसिफ कोर्ट, बैंगलोर के समक्ष लंबित है, जो वादपत्र प्राप्त करने में कानून की दया का घोर दुरुपयोग है।विद्वान मुंसिफ को याद रखना चाहिए कि यदि वादपत्र का अर्थपूर्ण - औपचारिक नहीं - पढ़ने पर यह स्पष्ट रूप से कष्टप्रद और योग्यताहीन है, तो मुकदमा करने के स्पष्ट अधिकार का खुलासा न करने के अर्थ में, उसे सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यह देखने का ध्यान रखें कि उसमें उल्लिखित आधार पूरा हो गया है। और, यदि चतुर प्रारूपण ने कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा किया है, तो आदेश 10 सीपीसी के तहत पार्टी की खोज करके पहली सुनवाई में इसे खत्म कर दें। एक सक्रिय न्यायाधीश गैर-जिम्मेदाराना कानूनी मुकदमों का जवाब होता है।

6.5.चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी [चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पोन्नियम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट, (2012) 8 एससीसी 706] में, इस न्यायालय ने पैरा 13 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: (एससीसी पी 715)

13. वादी के कथनों की जांच करते समय, वाद के कारण के लिए सामग्री का पता लगाना ट्रायल कोर्ट का परम कर्तव्य है। वाद का कारण तथ्यों का एक बंडल है जो उन पर लागू कानून के साथ लिया जाता है जो वादी को प्रतिवादी के खिलाफ राहत का अधिकार देता है। प्रत्येक तथ्य जो वादी को डिक्री प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए साबित करने के लिए आवश्यक है, उसे स्पष्ट शब्दों में निर्धारित किया जाना चाहिए।" वाद का कारण" शब्दों का अर्थ जानना सार्थक है। वाद के कारण में प्रतिवादी द्वारा किया गया कुछ कार्य शामिल होना चाहिए क्योंकि ऐसे कार्य की अनुपस्थ.ति... में.....वाद का कोई कारण संभवतः उत्पन्न नहीं हो सकता है। 6.6. एबीसी लैमिनार्ट (पी) लिमिटेड बनाम एपी एजेंसियों[(1989) 2 एससीसी 163], में इस न्यायालय ने " वाद का कारण" का अर्थ इस प्रकार समझाया:

"12। वाद के कारण का मतलब हर तथ्य से है, जिसका यदि पता लगाया जाए, तो अदालत के फैसले पर अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए वादी को साबित करना आवश्यक होगा। दूसरे शब्दों में, यह तथ्यों का एक समूह है जो उन पर लागू कानून के साथ मिलकर वादी को प्रतिवादी के खिलाफ राहत का अधिकार देता है। इसमें प्रतिवादी द्वारा किया गया कोई कृत्य अवश्य शामिल होना चाहिए क्योंकि ऐसे कृत्य के अभाव में वाद का कोई कारण संभवतः उत्पन्न नहीं हो सकता है। यह मुकदमा दायर किए गए अधिकार के वास्तविक उल्लंघन तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वे सभी भौतिक तथ्य शामिल हैं जिन पर यह आधारित है। इसमें ऐसे तथ्यों को साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य शामिल नहीं हैं, बल्कि वादी को डिक्री प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए साबित करने के लिए आवश्यक हर तथ्य शामिल है। वह सब कुछ जो अगर साबित नहीं हुआ तो प्रतिवादी को तत्काल निर्णय का अधिकार देगा, वाद के कारण का हिस्सा होना चाहिए।

लेकिन इसका बचाव पक्ष से कोई संबंध नहीं है जो प्रतिवादी द्वारा स्थापित किया जा सकता है और न ही यह वादी द्वारा प्रार्थना की गई राहत के चरित्र पर निर्भर करता है।

6.7. सोपान सुखदेव साबले [सोपान सुखदेव साबले बनाम चैरिटी कमिश्नर, (2004) 3 एससीसी 137] में पैरा 11 और 12 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: (एससीसी पृष्ठ 146) "11। आईटीसी लिमिटेड बनाम ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण [आईटीसी लिमिटेड] (1998) 2 एससीसी 70] में यह माना गया कि संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर एक आवेदन से निपटने के दौरान तय किया जाने वाला मूल प्रश्न यह है कि क्या वाद का वास्तविक कारण निर्धारित किया गया है या संहिता के आदेश 7 नियम 11 से बाहर निकलने की दृष्टि से वादपत्र कुछ पूरी तरह से भ्रामक है।

12. ट्रायल कोर्ट को यह याद रखना चाहिए कि यदि वादपत्र के अर्थपूर्ण और औपचारिक पढ़ने पर यह मुकदमा करने के स्पष्ट अधिकार का खुलासा न करने के अर्थ में स्पष्ट रूप से कष्टप्रद और योग्यताहीन है, तो उसे संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना कि उसमें उल्लिखित आधार पूरा हो। हैं। यदि चतुर प्रारूपण ने कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा किया है, तो संहिता के आदेश 10 के तहत पक्ष की खोज करके पहली सुनवाई में इसे खत्म करना होगा। (देखें टी अरिवंदंदम बनाम टीवी सत्यपाल[(1977) 4 एससीसी 467]।)" 6.8। मदनुरी श्री राम चंद्र मूर्ति [मदनूरी श्री राम चंद्र मूर्ति बनाम सैयद जलाल, (2017) 13 एससीसी 174] में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: (एससीसी पीपी। 178- 79, पैरा 7) "7। यदि उक्त प्रावधान में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं तो आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद पत्र खारिज किया जा सकता है।

यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग मुकदमे के किसी भी चरण में अदालत द्वारा किया जा सकता है। आवेदन पर निर्णय लेने के लिए जिन प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे केवल वादी के कथन हैं। यदि वादपत्र को संपूर्ण और सार्थक रूप से पढ़ने पर यह पाया जाता है कि मुकदमा स्पष्ट रूप से कष्टप्रद और मुकदमा करने के किसी भी अधिकार का खुलासा न करने के अर्थ में योग्यताहीन है, तो अदालत को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। चूंकि अदालत को सिविल कार्रवाई को सीमा पर समाप्त करने की शक्ति कठोर है, इसलिए वादपत्र को अस्वीकार करने की शक्ति के प्रयोग के लिए आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत बताई गई शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। यह पता लगाने के लिए कि क्या कथन ...वाद. के कारण का खुलासा करते हैं या क्या मुकदमा किसी कानून द्वारा वर्जित है, वादी के कथनों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि यह प्रश्न कि क्या मुकदमा किसी कानून द्वारा वर्जित है, हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वादी की अस्वीकृति के लिए प्रतिवादी की प्रार्थना पर विचार करते समय लिखित बयान के साथ-साथ प्रतिवादी की दलीलें पूरी तरह से सारहीन हैं। यहां तक कि जब वादपत्र में लगाए गए आरोपों को समग्र रूप से उनके अंकित मूल्य पर सही माना जाता है, यदि वे दिखाते हैं कि मुकदमा किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, या ..वाद. के कारण का खुलासा नहीं करते हैं, तो वादपत्र की अस्वीकृति के लिए आवेदन पर विचार किया जा सकता है और आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

हैं। यदि वादपत्र के चतुर प्रारूपण ने कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा किया है, तो अदालत इसे जल्द से जल्द खत्म कर देगी ताकि फर्जी मुकदमेबाजी पहले चरण में ही समाप्त हो जाए

6.9. राम सिंह [राम सिंह बनाम ग्राम पंचायत मेहल कलां, (1986) 4 एससीसी 364] में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब मुकदमा किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, तो वादी को उस प्रावधान को दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

चतुर प्रारूपण ताकि उन परिस्थितियों का उल्लेख न किया जा सके, जिनके कारण मुकदमा परिसीमा कानून द्वारा वर्जित है।

"7.9 आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत शक्तियों के प्रयोग पर इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून को मामले के मौजूदा तथ्यों और वादों में दिए गए कथनों पर लागू करते हुए, हमारी राय है कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने भौतिक रूप से आदेश VII नियम 11(डी) सीपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादों को खारिज नहीं करने में गलती की। संबंधित मुकदमे पंजीकृत बिक्री कार्यों के निष्पादन की तारीख से 10 साल की अवधि के बाद दायर किए गए हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक मुकदमा नाबालिग द्वारा दायर किया गया था, जो वर्ष 2006 में दायर किया गया था, जिसमें कुछ वादी भी उक्त मुकदमे के पक्षकार थे और उक्त मुकदमे में बिक्री का एक विशिष्ट संदर्भ था। डीड दिनांक 19.09.2005 और उक्त मुकदमा वर्ष 2014 में खारिज कर दिया गया और उसके तुरंत बाद वर्तमान मुकदमा दायर किया गया है। इस प्रकार, वादपत्र में दिए गए कथनों और वादपत्र में बताए गए तथ्यों के बंडल से, हमारी राय है कि चतुर प्रारूपण द्वारा, वादी ने मुकदमों को परिसीमा अवधि के भीतर लाने का प्रयास किया है, जो अन्यथा परिसीमा द्वारा वर्जित हैं। इसलिए, टी. अरिवंदंदम (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों और राघवेंद्र शरण सिंह (सुप्रा) के अन्य निर्णयों पर विचार करते हुए, और चूंकि संबंधित मुकदमे परिसीमा के कानून द्वारा वर्जित हैं, इसलिए आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित वादों को खारिज करना आवश्यक है।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, ये सभी अपीलें सफल होती हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश में पुनरीक्षण आवेदनों को खारिज कर दिया गया और विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत संबंधित आवेदनों को खारिज कर दिया गया और आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादों को खारिज करने से इनकार कर दिया गया। इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है। यहां अपीलकर्ता द्वारा दायर

किए गए संबंधित आवेदन - मूल प्रतिवादी के संबंधित वादों को इस आधार पर खारिज करने की अनुमति दी जाती है कि वे परिसीमा कानून द्वारा वर्जित हैं। संबंधित वादपत्रों को इस आधार पर खारिज किया जाता है कि वे परिसीमा द्वारा वर्जित हैं।

तदनुसार वर्तमान अपीलें स्वीकार की जाती हैं। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अपीलें स्वीकृत की जाती हैं।

सचिंद्र कु० पा०
परिवार न्यायालय, जामताड़ा